

20/01/2024

पत्रा. नं. 2-1 नं. 34-1 तहसीलदार  
ले रिपोर्ट अग्रिम/ पत्रा. प्रांक 5/7/2024  
को पेश हो-  
-

5/7/2024

पत्रावली पेश हुई/ बहु. 34-1 तहसीलदार  
नदबई के प्रांक नं. 5 प्रांक 5/7/2024  
द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहम  
प्रां. नं. पत्र 136 LR Act के तहत पुनी  
जडी प्रां. वकील के कथन रहे कि  
प्रां. के बाबा गुरजी पुत्र दुर्गा जाति  
ब्राह्मण निवासी अदारी के दाल जमाबंदी  
संवत् 2073-2076 में खाना सं. 169



रूपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)

0 के आराजी खसरा नं. 874, 875 में प्राणी  
 के बाबा का नाम गलत मुरली पुत्र दुर्गा  
 दर्ज हो गया है। जबकि प्राणी के बाबा  
 का नाम जमाबंदी संवत् 2028 तथा संवत्  
 2032 से 2035 में गुरजी पुत्र दुर्गा  
 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। जबकि  
 प्राणी के बाबा का सही नाम गुरजी पुत्र दुर्गा था  
 श्रीमानजी से निवेदन है कि प्राणी के बाबा  
 का नाम जमाबंदी संवत् 2073 से न  
 खाला संख्या 169 में प्राणी के बाबा  
 का गलत नाम मुरली पुत्र दुर्गा के  
 स्थान पर गुरजी पुत्र दुर्गा दुरुस्त करने  
 की कृपा करें।

हमने बटल को असुना/उपलब्ध  
 रिकॉर्ड से अवलोकन किया/बटल पर मनन  
 किया तो पाया कि मुलाबिक तहसील सर  
 रिपोर्ट खालेदार मुरली पुत्र दुर्गा के स्थान  
 पर गुरजी पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/2 जति ब्राह्मण  
 सा. अराजी छिपे जाने की अभिशंसा की गई है।

अतः आदेश है कि जमाबंदी संवत्  
 2073-2076 खाला संख्या 169 में प्राणी के  
 बाबा का नाम मुरली पुत्र दुर्गा के स्थान  
 पर गुरजी पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/2 जति ब्राह्मण  
 सा. अराजी दर्ज किया जाता है।

प्रशासकी कुशल शुभा। लोक नम्बर  
 से का. जाकर साखिल सफर है।

5/7/24

उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)

न्याय

राजस्व

1. व
2. व
3. व
- 4.
- 5.

6  
7  
1